न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वित्तीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. : 219/2025
जीसीएमएस नम्बर : 2025/674

अपीलार्थी :–

मोहनसिह पुत्र श्री कल्याणसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी–ग्राम बडली तहसील व जिला जोधपुर

ब ना म्

प्रत्यर्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर जिला जोधपुर

उपस्थिति :–

1. श्री शंकरसिह राजपुरोहित, श्रीकांत राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री राजकीय पैरोकार प्रत्यर्थी

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

– : : निर्णय : : – **दिनांक : 03/2/26**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण सं0 646 दिनांक 14–5–2004 के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की है कि न्यायालय श्री सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 143/1997 बअनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम कल्याणसिंह अन्तर्गत धारा 177 (1),(अ) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 646 दिनांक 14–5–2004 को स्वीकृत किया गया, न्यायालय श्री सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी के पिता कल्याणसिंह द्वारा एक अपील न्यायालय श्री राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 55/2004 बअनवान कल्याणसिंह बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की गई थी। जो अपील राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27–7–2004 को स्वीकार करते हुए सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–2004 को अपास्त कर दिया गया। जिस आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी याचिका संख्या

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

101/04 बनअवान सरकार बनाम कल्याणसिंह वगैरा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर एवं सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सहायक जिलाधीश जोधपुर को निर्देश के साथ प्रेषित किया गया जिस पर न्यायालय श्री सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा वर्ष 2007 में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया जिस कालावधि में अप्रार्थी कल्याणसिंह का देहान्त हो जान की सूचना पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस पर न्यायालय श्री सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सं0 143/97 दिनांक 15–9–2022 को निरस्त कर दिया गया। चूंकि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 646 न्यायालय श्री सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण सं0 143/97 में पारित आदेश दिनांक 28–4–2004 की पालना में स्वीकार किया गया था एवं उक्त आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में जब मूल आदेश ही प्रभाव में नही है तो ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के पालना में पारित किये गये नामान्तरकरण भी विधि अनुसार पोशणीय नही रह जाता है। जिस कारण आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 646 निरस्त करते हुए रिकोर्ड की पूर्व स्थिति बहाल किया जाना आवश्यक है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने मौखिक तर्को में अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरार्वर्ती करते हुए नामान्तरकरण संख्या 646 निरस्त करते हुए पूर्व स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया गया। जिसके विरूद्ध अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा मौजूदा अपील न्यायिक निर्णय के जरिये राजस्व रिकोर्ड में हुई तबदीली के पूर्व स्थिति बहाल किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है। स्वीकृत रूप से प्रकरण संख्या 143/97 बअनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम कल्याणसिंह अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय श्री सहायक जिलाधीश जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। एवं उक्त न्यायालय के आदेश की पालना में ही नामान्तरकरण संख्या 646 पारित किया गया है। यदि विचारण न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के आधार पर रेकर्ड अथवा मौके की तब्दीली की जाती है एवं ऐसा आदेश उच्चतर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो मौके एवं रिकोर्ड की पूर्व स्थिति की बहाली करने की शक्तियां भी आदेश पारित करने वाले न्यायालय को ही धारा 144 दीवानी प्रकिया संहिता के तहत है। चूंकि

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

नामान्तरकरण संख्या 646 न्यायिक आदेश के जरिये पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नही की गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा को पूर्व स्थिति बहाल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षकारान के तर्को के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया, स्वीकृत रूप से न्यायालय श्री सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा प्रकरण सं0 143/97 बअनवान सरकार बनाम कल्याणसिह में पारित न्यायिक आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 646 पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है। धारा 144 दीवानी प्रकिया संहिता के अनुसार भी मौके एवं रिकोर्ड की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने की शक्तियां भी मूल आदेश पारित करने वाले न्यायालय में ही निहित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील पोषणीय नही होने के कारण निरस्त की जाती है।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 03/2/26 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर